

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

भगवान सहाय बनाम अंजू देवी वगै

GCMs-2025/207

कदमा नम्बर :- 79/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.06.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 03.07.2025 को पेश हो।</p>	
31/7/25	<p>प्रसाइडिंग आफोसर और/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/7/25 को पेश हो</p>	
10/7/25	<p>वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली पर अज्ञानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो</p>	
14/7/25	<p>वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली पर अज्ञानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो</p>	
16/7/25	<p>व. प्रार्थी द्वारा पत्रावली सुन लियी दिनांक 23/7/25 को पेश हो</p>	
23/7/25	<p>व. प्रार्थी द्वारा आगामी पेशी पर पत्रावली सुन लियी दिनांक 23/7/25 को पेश हो</p>	

28/7/25

पत्रावली पेश हुई। माधालय का लम्ब-
सामान होने तक वसिल-पत्रावली के पत्र-
पारत आपका विलासि-गमीन वसिल-पत्रावली
अलायलत व वसिलत-अनुसंधित है
उति: पत्रावली अति धीमे अति पत्र-
में खारिज की जाती है पत्रावली
दर-दुपार के का है तथा वसिल
दुपार है)।

सहायक कलेक्टर
बोम्बे (जयपुर)